

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बरेली।

प्रशासनिक आदेश सं०:-

दिनांकित 06.10.2026

92

आदेश

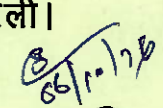
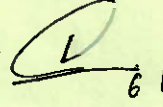
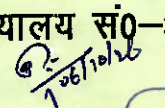
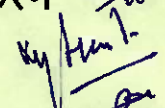
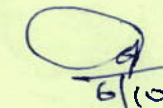
वाद योजन के समय यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि भरणपोषण की धनराशि की वसूली हेतु एक बार वाद योजित करने के पश्चात उसमें माँगी गई धनराशि का भुगतान हो जाने के बाद फिर से आगे देय भरणपोषण की वसूली हेतु नये वाद योजित किए जा रहे हैं, जबकि कुटुम्ब न्यायालय(न्यायालय)नियमावली-2006 के नियम 39 में यह प्रावधान किया गया है कि वसूली वाद एक बार योजित होने के पश्चात उसी वाद में निरन्तरता के साथ देय धनराशि का भुगतान किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में नया वाद योजित नहीं किया जायेगा। माला कुमारी बनाम उ०प्र० राज्य 2026 एस०सी०सी० ऑनलाईन, इलाहाबाद 23339 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि एक बार वसूली वाद योजित होने के बाद पुनः नया वसूली वाद योजित नहीं किया जायेगा तथा उसी वाद में आवेदन प्रस्तुत कर निरन्तरता के साथ भरणपोषण की धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जायेगी। अतः आदेश के अनुपालन हेतु आदेश की एक प्रतिलिपि समस्त पारिवारिक न्यायालयों, बरेली को भेजी जाये। साथ ही साथ दोनों जिला वार एसोसिएशन में भी इस आदेश के प्रचार-प्रसार एवं अनुपालन हेतु एक-एक प्रति भेजी जाये। इसके अतिरिक्त एक प्रतिलिपि सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी इस आदेश के प्रचार-प्रसार हेतु भेजी जाये तथा समस्त पारिवारिक न्यायालयों के सूचना पट पर आदेश को बड़े अक्षरों में चर्षा किया जाये।

इस आदेश को जिला न्यायालय, बरेली की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाये।


06/10/2026

प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय, बरेली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बरेली।
 2. अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सं०-1 
 3. अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सं०-2 
 4. अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सं०-3
 5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 
 6. दोनों बार एसोसिएशन, बरेली।
 7. कम्प्यूटर अनुक्रम, जिला बरेली 
- 
06/10/2026
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय, बरेली।